Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **अपर जिला कलक्टर (प्रथम)** मुकाम **जोधपुर**

प्रार्थी		**अप्रार्थी**
तिलोक चन्द पुत्र भंवरलाल, उम्र 31 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम पंचायत बेलवा खत्रियां, पंचायत समिति बालेसर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।	बनाम	1. ग्राम पंचायत बेलवा खत्रियां, जरिये सरपंच। 2. प्रकाश नाहटा पुत्र जसराज, जाति ओसवाल, निवासी ग्राम बेलवा खत्रियां, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

किस्म मुकदमा **पंचायत निगरानी** नं. 13 सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.04.2022	प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 आबादी भूमि विक्रय विलेख जो दिनांक 20.10.1961 को ग्राम पंचायत बेलवा (वर्तमान ग्राम पंचायत बेलवा खत्रियां) द्वारा जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है। पंचायत निगरानी के साथ प्रार्थना–पत्र बाबत् डिस्पेन्सिविथ करने प्रमाणित प्रति व स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश किया है। अतः प्रस्तुत पंचायत निगरानी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः प्रस्तुत पंचायत निगरानी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो व अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड प्राप्त कर, पत्रावली वास्ते तामिली रिपोर्ट देखने हेतु दिनांक 02.05.2022 को पेश हो। अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर।	
27-04-2022	प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 26-04-2022 को प्रार्थना पत्र वास्ते मिसल तलब करने हेतु का प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज [illegible] गई। प्रार्थी मय अधिवक्ता [illegible]। प्रार्थी ने दिनांक 26-04-2022 को प्रार्थना पत्र वास्ते विड्राल करने निगरानी याचिका को पेश कर बतलाया कि निगरानीकर्ता तिलोकचन्द	[illegible]

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Ne
Date: 2023.01.16 16:19:37 IST
Reason: SelfAttested

—.

FORM NO. III

AAP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

लत ______ मुकाम ______

______ बनाम ______

द्दमा ______ नं. ______ सन् ______

रीख म्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व अप्रार्थी सं. 2 प्रकाश नाहटा के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है निगरानीकर्ता उक्त निगरानी याचिका को आगे चलाना नहीं चाहते है अतः उक्त निगरानी याचिका जरिये विड्राल प्रार्थना पत्र निस्तारित करने का आदेश फरमावे। प्रार्थी तिलोकचन्द की पहचान अभि. अधिवक्ता श्री सुरेश जोशी ने की। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी जरिये विड्राल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan La
Date: 2023.01.16 16:19:37 IS
Reason: SelfAttested